कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया

संशोधित विज्ञप्ति संख्या–01 / 2016–17

संशोधित विज्ञापन सूचना

उ0प्र0 शासन सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–8 के पत्र स0–1716 / 16–27–सिं–8–02, पद सृजन / 2016 दिनांक 26.07.2016 एवं प्रमुख अभियन्ता (अधि0–5क अनु0) सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञांप सं0–1316 / अधि0–5 / कुक / माली / लखनऊ / दिनांक 06.10.2016 द्वारा सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवनों हेतु चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) में कुक कम चौकीदार के अस्थायी पदों का सृजन किया गया है उक्त के क्रम में चयन हेतु अभ्यर्थी जो भारत का नागरिक हो से एतद्द्वारा संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थियों द्वारा नीचे दी गई अनिवार्य अर्हताओं के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण प्रमाण–पत्र सहित अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि– 24.11.2016 सायं 5.00 बजे तक।

पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम व वेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणी				अनिवार्य योग्यता	अभ्युक्ति
			सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कुक–कम–चौकीदार 5200–20200 ग्रेड पे 1800	01	–	01	–	–	कक्षा–5 उत्तीर्ण एवं 03 वर्ष का कुकिंग अनुभव का प्रमाण पत्र	यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

सामान्य शर्ते :–

1– उक्त पद की संख्या घट–बढ़ सकती है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2– अभ्यर्थी को कक्षा–5 उत्तीर्ण होना चाहिए एवं साइकिल चला सकता हो।

3– उक्त पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2016 को 18 वर्ष से 35 बर्ष के बीच होना चाहिए। नियमानुसार आरक्षित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

4– आवेदन पत्र में यथा स्थान नवीनतम् पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो लगाकर तथा आवेदन पत्र के साथ 10x23 सेमी0 के दो लिफाफे पंजीकृत डाक टिकट रू0 27.00 लगाकर लिफाफे पर अपना नाम व पता अंकित कर संलग्न करना होगा।

5– शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि, जाति प्रमाण–पत्र व निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

6– अभ्यर्थी के अर्ह होने अथवा अर्ह न होने के सम्बन्ध में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

7– आवेदन पत्र के विवरण में कोई त्रुटि पाये जाने अथवा अपूर्ण सूचना होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त होने पर विभाग उत्तरदायी नही होगा।

8– पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होगा, आवेदन पत्र अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के जनपद बलिया उत्तर प्रदेश के नाम से भेजा जायेगा, कोई भी आवेदन पत्र सीधे प्राप्त नही किया जायेगा।

9– अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार हेतु तिथि अलग से निर्धारित की जायेगी।

10– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ 03 वर्ष का कुकिंग अनुभव का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11– साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई भी यात्रा–भत्ता देय नही होगा।

12– आवेदन पत्रों की जॉच के बाद अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

13– आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण–पत्र तथा अधिवास प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न करना आवश्यक हैं.।

14– अर्ह अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से सूचित किया जायेगा तथा इसकी सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।

15– इस पद हेतु केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।

16– आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को देय होगा।

17– सम्पूर्ण या आशिंक चयन प्रकिया को बिना कारण बताये समाप्त / निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया